

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सिणधरी

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कैम्प कोर्ट) केम्प:-अटल सेवा केन्द्र खारा महेचान

क्रमांक:-लो.अदा./2017/

282

प्रकरण सं:- 21/12

दिनांक:-07.06.2017

आदेश

प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र एवं पटवारी दाखां व भू.अ.नि. सिणधरी की रिपोर्ट तथा तहसीलदार सिणधरी की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अनुसरण में ग्राम दाखा ऊचिया चौधरियो की ढाणी इन्द्रानगर तहसील सिणधरी व जिला बाडमेर की जमाबन्दी संवत 2072-2075 में खाता संख्या में वर्तमान को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र. स.	ग्राम	खाता संख्या	खसरा नम्बर	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	दाखा	---	286,284	रतनलाल, पंकजकुमार,	रतन, पंकज, अनिल
2	ऊचिया	---	1067,1251 / 1065	अनिल कुमार पुत्र	पुत्र उदाराम व
3	चौधरियो की ढाणी	---	1268 / 867,869,866, 890,925,929	उदाराम व गीगीदेवी पत्नि उदाराम	गंगादेवी पत्नि उदाराम
4	इन्द्रानगर	---	1197,1130		<u>शेष बद्रुस्तर</u>

नोट:-किसी सरकारी संस्था / गैर सरकारी संस्था से किसी प्रकार का ऋण इत्यादि बकाया होने पर प्रार्थीगण द्वारा वहन किया जावेगा।

निम्न
07/06/17

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, सिणधरी
दिनांक:- 7.6.17

क्रमांक:-लो.अदा./2017/

283-85

प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार सिणधरी को भेजकर लेख है, कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना से रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री रतन वगैरह जाति कलबी निवासी चौधरियों की ढाणी तहसील सिणधरी व जिला बाडमेर को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

निम्न
07/06/17

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, सिणधरी